

::1::

प्ररूप 12

{ नियम 34ख (1)(ख) देखिए }

संसाधकों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियाँ
(तम्बाकू के व्ययन या विक्रय के पश्चात् 15 दिन के भीतर प्रस्तुत की जाए)

1	संसाधक का नाम	:
2	रजिस्ट्रीकरण सं.	:
3	पता	:

संसाधित वर्जिनियाँ तम्बाकू की किस्म	संसाधित परिमाण	व्ययन		वह व्यक्ति जिसको व्ययन किया गया है	छूटा हुआ तम्बाकू
		परिमाण	व्ययन की पद्धति		
				जोड:	

स्थान:

तारीख:

(संसाधक के हस्ताक्षर)